21/7/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्षकारान उप. पत्रावली बहस में लेकर ही पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन निर्णय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ही (तत्कालीन अति. जिला कलक्टर, कोटा) पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील प्रकरण का निर्णय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा करना न्यायोचित नहीं है। अतः मूल अपील पत्रावली वाले सुनवाई एवं अंतिम कार्यवाही हेतु श्रीमान संभागीय आयुक्त कोटा के न्यायालय में स्थानांतरित की जाती है। पक्षकारान को न्याय, संभागीय आयुक्त, कोटा के सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबत सूचित किया जाय। जा. न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा में श्रीमान R.O. जा के समक्ष दि. 05/8/2024 को पेशगी

10/23

अ
सं. आयुक्त